प्रेस नोट–187/2026
दिनांक 02.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–गैंगेस्टर एक्ट में जनपद आजमगढ़ से वाछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01–04–2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–275/2024 धारा–2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. राहुल यादव पुत्र प्रकाष यादव, निवासी सिसरेडी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

थाना डी0एल0एफ0 काईम ब्रांच एफबीडी के निकट, फरीदाबाद हरियाणा। दिनांक 01–04–2026 समय 19:15 बजे शाम।

एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु विभिन्न इकाईयों/टीमों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त क्रम में उप निरीक्षक श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 बरनाम सिंह, यशवन्त सिंह, अजीत सिंह चालक अफजाल अहमद की टीम जनपद फरीदाबाद हरियाणा में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वांछित अभियुक्त राहुल यादव थाना डी0एल0एफ0 क्राईम ब्रांच एफबीडी के पास, फरीदाबाद हरियाणा के पास मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल यादव ने पूछताछ में बताया कि वर्ष–2018 से लूट, चोरी डकैती, आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास सम्बन्धी गम्भीर अपराधो में लिप्त रहा है।

इसके द्वारा जनपद आजमगढ के कई थानाक्षेत्र में अपने गिरोह के साथ मिलकर लूट, चोरी व डकैती जैसे अपराधों को अंजाम दिया गया था जिसमें यह थानाक्षेत्र बरदह व कोतवाली आजमगढ में पूर्व में पंजीकृत अभियोगों में जेल भी जा चुका है। जनपद आजमगढ के थानाक्षेत्र देवगांव में इसके द्वारा अपने गिरोह के साथ मिलकर वर्ष–2018 में चोरी व लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिस कारण थाना देवगांव जनपद आजमगढ में इसके व गिरोह के साथियों के विरूद्ध वर्ष–2023 में मु0अ0सं0 609/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट व वर्ष–2024 में पंजीकृत मु0अ0सं0 275/2024 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें यह वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने हेतु यह अपने परिवार से अलग फरीदाबाद हरियाणा में छिप कर रह रहा था। घटना में शामिल अभियुक्तो को स्थानीय पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है तथा यह फरार चल रहा था, जिसमें गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल यादव को थाना देवगांव, जनपद आजमगढ में पंजीकृत मु0अ0सं0–275/2024 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त राहुल यादव का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	032/20	120बी, 392, 411 भा0द0वि0	कोतवाली	आजमगढ़
2	135/19	307 भा0द0वि0	बरदह	आजमगढ़
3	136/19	41, 413, 414 भा0द0वि0	बरदह	आजमगढ़
4	137/19	3/25 आर्म्स एक्ट	बरदह	आजमगढ़
5	214/18	379, 411, 413 भा0द0वि0	देवगांव	आजमगढ़
6	240/18	323, 392, 411 भा0द0वि0	देवगांव	आजमगढ़
7	609/23	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
8	275/24	2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
9	17/18	379, 411 भा0द0वि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
10	223/18	379, 411 भा0द0वि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
11	179/21	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
12	259/22	174ए भा0द0वि0	कोतवाली	आजमगढ़
13	33/20	115, 307, 34, 399, 402, 411, 413, 414, 419, 420 467, 468, 471 भा0द0वि0	तहबरपुर	आजमगढ़
14	34/20	3/25 आर्म्स एक्ट	तहबरपुर	आजमगढ़

जनपद बांदा/थाना मटौंध

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लैपटाप, 01 सीपीयू, 01 कलर प्रिंटर**
- **06 चेक (38 लाख रूपये का)**
- **02 सेट जमीन रजिस्ट्री की छायाप्रति**
- **41 आधार कार्ड, 01 ई–श्रम कार्ड, 01 वोटर कार्ड, 01 पैन कार्ड बरामद**

दिनांक 02.04.2026 को थाना मटौंध पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–राजेश 2–हरीकरन सहित अभियुक्त 3–विजय प्रकाश 4–श्रीराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 लैपटाप, 01 सीपीयू, 01 कलर प्रिंटर, 06 चेक (38 लाख रूपये का), 02 सेट जमीन रजिस्ट्री की छायाप्रति, 41 आधार कार्ड, 01 ई–श्रम कार्ड, 01 वोटर कार्ड, 01 पैन कार्ड बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त 1–राजेश 2–हरीकरन थाना मटौंध पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मटौंध पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश निवासी खाईपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

2–हरीकरन निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा।

3–विजय प्रकाश निवासी पियरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

4–श्रीराम निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा।

बरामदगी

1–02 लैपटाप, 01 सीपीयू, 01 कलर प्रिंटर।

2–06 चेक (38 लाख रूपये का)।

3–02 सेट जमीन रजिस्ट्री की छायाप्रति।

4–41 आधार कार्ड, 01 ई–श्रम कार्ड, 01 वोटर कार्ड, 01 पैन कार्ड।

जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.04.2026 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रतापपुर रोड़ से नहरी बरी गांव के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–कल्लू सहित अभियुक्त 2–रामजी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कल्लू निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2–रामजी निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

जनपद औरैया/दिबियापुर

- **12 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के 40 कुन्तल सरिया**
- **01 ट्रैक्टर मय ट्राली**
- **02 कार आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2026 को थाना दिबियापुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उमरसाना तिराहा के पास से 12 अभियुक्तों 1–हर्ष उर्फ चुन्नू 2–अर्जुन 3–पुनीत 4–सागर 5–अरूण 6–विशाल 7–लाखन 8–कृष्ण पुत्र मोहन 9–विट्टू 10–चरन 11–कृष्ण पुत्र खजान 12–लक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के 40 कुन्तल सरिया, 01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 02 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2026 को थाना दिबियापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सरिया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हर्ष उर्फ चुन्नू निवासी अलालपुर थाना दारूबडा जनपद रेवाडी, हरियाणा।

2–अर्जुन निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

3–पुनीत निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

4–सागर निवासी संजयनगर थाना धरोडा जनपद करनाल, हरियाणा।

5–अरूण निवासी संजयनगर थाना धरोडा जनपद करनाल, हरियाणा।

6–विशाल निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

7–लाखन निवासी बनाणा थाना सदर जनपद पानीपत, हरियाणा।

8–कृष्ण पुत्र मोहन निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

9–विट्टू निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

10–चरन निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

11–कृष्ण पुत्र खजान निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

12–लक्की निवासी कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के 40 कुन्तल सरिया।

2–01 ट्रैक्टर मय ट्राली।

3–02 कार आदि।

- **जनपद कुशीनगर/थाना तरयासुजान (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तरयासुजान पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इमरान को आजीवन कारावास व 03 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना ललपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना ललपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त नारेन्द्र को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना केराकत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना केराकत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना मारकुण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त रामप्रसाद को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————